राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2760/2025

रविशंकर जोगी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.05.2025

आदेश की दिनांक : 09.06.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक लेखाधिकारी द्वितीय के पद पर नगर पालिका श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ लेखाकार के पद पर वर्ष 2017 में हुई थी और आदेश दिनांक 17.08.2021 के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया। परंतु पद का दुरूपयोग के आधार पर अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 03.01.2025 के द्वारा निलंबित

किया गया और अपीलार्थी का मुख्यालय प्रत्यर्थी संख्या 2 के कार्यालय में किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 137/2025 प्रस्तुत की, जिसके क्रम में अधिकरण द्वारा उक्त आदेश दिनांक 03.01.2025 की क्रियान्विति को स्थगित करते हुये स्थगन आदेश दिनांक 17.01.2025 जारी करते हुये यथावत पदस्थापित रखने के आदेश दिये गये और नियमानुसार कार्यवाही करने की छूट प्रदान की गई। परंतु अधिकरण द्वारा जारी आदेश की पालना 3 माह 20 दिवस तक विभाग द्वारा नहीं की गई और प्रशासनिक सुधार विभाग व मुख्यमंत्री कार्यालय से स्थानांतरण में छूट प्राप्त किये बिना राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण पर लगाये गये प्रतिबंध के बावजूद अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 05.05.2025 के द्वारा कोषालय, फलौदी पदस्थापित किया गया है, जो उक्त निर्देशों एवं नियमों के विपरीत है। उनका यह भी तर्क है कि वित्त विभाग के पत्र दिनांक 08.03.2017 के बिंदु संख्या 1 में यह स्पष्ट है कि सहायक लेखाधिकारी द्वितीय का स्थानांतरण 4 वर्ष से पूर्व नहीं किया जायेगा लेकिन अपीलार्थी का स्थानांतरण विभाग के उक्त पत्र के विपरीत जाकर किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग है तथा उसके पिता जो कैंसर की बीमारी से पीडित हैं, इसके बावजूद अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 05.05.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को नगर पालिका श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर में अथवा चूरू व बीकानेर जिले के रिक्त स्थानों में से किसी भी स्थान पर पदस्थापित रखे जाने के आदेश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के सहायक लेखाधिकारी द्वितीय के पद पर नगर पालिका श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर में कार्यरत रहने के दौरान अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग ने निलम्बित किया गया। निलम्बन के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील दायर करने पर अपील संख्या 137/2025 में अधिकरण ने आदेश दिनांक 17.01.2025 द्वारा निलम्बन की क्रियान्विति स्थगित की गई। अधिकरण के आदेश दिनांक 17.01.2025 का आदेश निम्नलिखित है :–

''4. अतः अपीलार्थी द्वारा उठाया गया प्रश्न विचारणीय है। अपील ग्राह्य की जाती है। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अंतरिम रूप यह आदेश दिया जाता है कि आलोच्य आदेश दिनांक 03.01.2025 (अनुलग्नक–1) की क्रियान्विति अपीलार्थी के संबंध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित रहेगी। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी का किसी भी अन्य स्थान पर पदस्थापन करने के लिये एवं अपीलार्थी के सम्बन्ध में नियमानुसार नये सिरे से कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।''

स्पष्ट है कि अपीलार्थी के निलम्बन आदेश की क्रियान्विति को स्थगित करते समय प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी को अन्यत्र पदस्थापन की स्वतंत्रता दी गई है। जहां तक अपीलार्थी को कोषालय, फलौदी कार्यालय में सहायक लेखाधिकारी द्वितीय के रिक्त पद पर पदस्थापित किये जाने का प्रश्न है, हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत हैं कि अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 03.01.2025 की क्रियान्विति को स्थगित करते हुये स्थगन आदेश दिनांक 17.01.2025 जारी किया गया। परंतु उसी स्थान पर पदस्थापित किये जाने का आदेश जारी नहीं किया गया। स्थगन आदेश में यह स्पष्ट अंकित है कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी का किसी भी अन्य स्थान पर पदस्थापन करने के लिये एवं अपीलार्थी के संबंध में नियमानुसार नये सिरे से कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जिसके क्रम में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 05.05.2025 के द्वारा कोषालय, फलौदी कार्यालय में सहायक लेखाधिकारी द्वितीय के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया है और उक्त पदस्थापन अधिकरण के आदेश की पालना में किया गया है। इस प्रकार आलोच्य आदेश दिनांक 05.05.2025 में हमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना दर्शित नहीं होता है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील में कोई बल प्रकट न होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य